नगर परिषद मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2014 से 3/2016

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम–1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद मनाली, जिला कुल्लू के अवधि 4/2014 से 3/2016 लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद मनाली में निम्न अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहेः–

क्रमांक	अध्यक्ष का नाम	अवधि
1.	श्री रूप चन्द नेगी	19.1.2011 से 17.1.2016
2.	श्रीमति शबनम तनवर	18.1.2016 से लगातार

नगर परिषद मनाली में कार्यकारी अधिकारी का कार्यकालः–

क्र0 सं0	नाम	तैनाती की अवधि
1.	श्री मोहिन्द्र सिंह ठाकुर	16.2.2013 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

नगर परिषद मनाली के अवधि 4/2014 से 3/2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क्र0 सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि लाखों में
1.	सावधि जमा निवेश की राशि के परिपक्वता से पूर्व भुनाने के कारण ब्याज की वित्तीय हानि	5	8.26
2.	अनुदानों की अनुपयुक्त राशि का शेष पाया जाना	6 (क)	115.06
3.	अनुदान राशियों का अन्य उद्धेश्य पर व्यय करना	6(ग)	56.68
4.	अग्रिम के रूप में प्रदान की गई राशि का समायोजन न करना	7	3.06
5.	गृहकर की राशि की वसूली हेतु शेष पाया जाना	8(क)	26.73
6.	गृहकर की बढ़ी हुई दरों से वसूली न करने से गृहकर की	8(ग)	5.88

	कम वसूली करना		
7.	दुकानों के किराए की राशि की वसूली हेतु शेष पाया जाना	9(क)	65.58
8.	तहबाजारी फीस की राशि की वसूली हेतु शेष पाया जाना	10(क)	1.77
9.	मोबाईल टावर कम्पनियों से टावर फीस की राशि की वसूली हेतु शेष पाया जाना	11	2.47
10.	Segrigation फीस की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	12	0.80
11.	विद्युत बोर्ड में बिजली शुल्क/कर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	15	4.43
12.	निर्माण कार्य बिलों से लेबर सैस की कटौती न करना	16	0.51

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "अ"** पर दर्शाई गई

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद मनाली के अवधि 4/2014 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण श्री राम लाल, सहायक नियन्त्रक श्री विकास धवन, अ0अ0 व श्री नरेन्द्र कुमार अ0स0 द्वारा 4.4.2016 से 27.6.2016 के दौरान मनाली में किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 6/2014 व 6/2015 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु लिए माह 11/2014 व 6/2015 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। यहां पर यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद के अवधि 4/2014 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹74200 आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मनाली को सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अधियाचना संख्याः फिन(एल0ए0)के0सी0 180/2016, 122 दिनांक 27.6.2016 द्वारा अनुरोध किया गया। तदानुसार कार्यकारी अधिकारी नगर

परिषद मनाली द्वारा उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्याः 348347, दिनांक 5.7.2016 के अन्तर्गत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला–9 को भेज दी गई।

4 वित्तीय स्थिति

(क) कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अनुसार नगर परिषद की अवधि 4/2014 से 3/2016 को अपने स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क" 'i" व 'ii"** में भी संलग्न है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	कुल	भुगतान	अन्तिम शेष
2014–15	14499834	53190525	67690359	61242780	6447579
2015–16	6447579	72412583	78860162	63096303	15763859
दिनांक 31.3.2016 को बैंक का अन्तशेष (**परिशिष्ट "क" 'iii"**)					18293317

(ख) बैंक का समाधान विवरण 31.3.2016 (**परिशिष्ट "क" 'iv"**)

रोकड़ वही के अनुसार बकाया राशि	15763859
बैंक पासबुक में ऑनलाईन जमा (GSLI) परन्तु रोकड़ वही में दर्ज नहीं की गई।(4/16 को रोकड़ वही में दर्ज)	(+)4809
चैक जिनकी रोकड़ वही में प्रविष्टि की गई, परन्तु बैंक से भुगतान नहीं हुए	(+)2582416
प्राप्त आय की रोकड़ वही में प्रविष्टि की गई परन्तु बैंक डिसओनर हो गया	(–)37500
बैंक चार्जिज जिनकी रोकड़ वही में प्रविष्टि नहीं की गई	(–)20267
बैंक पासबुक में बकाया राशि	**1829331**

नोट :– (i) परिषद द्वारा भुगतान हेतु मास 3/2016 तक चैक जारी किए गए, लेकिन 31.3.2016 तक बैंकों से भुगतान नहीं गए।

क्र0 सं0	चैक संख्या	दिनांक	वाउचर सं0	राशि
1	779684	7.12.2011	47	3000
2	780720	16.12.2011	83	400
3	781777	21.3.2012	71	240
4	790450	26.12.2012	51	390
5	792103	5.1.2013	46	2550
6	792164	11.2.2013	50	24200
7	878280	17.8.2013	107	5000
8	881327	18.2.2014	44	150
9	293616	1.6.2015	28	22300
10	820259	24.11.2016	88	2000
11	252406	17.12.2015	57	650
12	137001	10.3.2016	47	386
13	137010	11.3.2016	56	2000
14	137027	15.3.2016	73	3000
15	543361	31.3.2016	97	13145
16	543362	31.3.2016	98	500000
17	543363	31.3.2016	99	500000
18	543364	31.3.2016	100	500000
19	543366	31.3.2016	101	500000
20	543367	31.3.2016	102	3005

21	543368	31.3.2016	103	500000
			योग	**₹2582416**

नोटः– (ii) क्रम संख्या 1 से 11 तक दर्शित चैकों को तीन माह से अधिक समय पहले जारी किया गया है व कालातीत हो चुके हैं। अतः इन राशियों को रोकड़ वही में प्राप्ति की प्रविष्टियां करके चैक निरस्त किए जाएं।

नोटः– (iii) दिनांक 30.10.2015 को चैक द्वारा आय की ₹37500 प्राप्त की गई परन्तु बैंक में डिस्ओनर होने के कारण इसे कैश नहीं किया गया। अतः इसकी वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

नोटः– (iv) बैंक चार्जिज की ₹20267 प्रविष्टि 31.3.2016 तक रोकड़ वही में नहीं की गई। अतः इसकी रोकड़ वही में प्रविष्टि करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा निवेश में निवेशित राशियों को परिपक्वता तिथि से पूर्व भुनाने/निकलवाने के परिणामस्वरूप लगभग ₹8.26 लाख के ब्याज की हुई वित्तीय हानि बारे

(क) अभिलेख की जांच में पाया गया कि परिषद द्वारा सावधि जमा निवेश में निवेशित राशियों को परिपक्वता तिथि से पूर्व भुनाया/निकलवा लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद को लगभग ₹826344 ब्याज की वित्तीय हानि हुई है, जिनका विवरण निम्नलिखित है।

एफ0डी0 सं0	बैंक का नाम	दिनांक	निवेशित राशि	दर	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	परिपक्वता पूर्व भुनाने से प्राप्त राशि	दिनांक	ब्याज के रूप में हुई वित्तीय हानि
1713000500000287	पी0एन0बी0	29.8.14	2000000	9%	29.8.15	2186167	2102147	1.5.15	84020
1713000500000287	पी0एन0बी0	29.8.15	1507080	8%	29.8.16	1631316	1513686	3.9.15	117626
772298	पंजाब एण्ड सिंध	25.3.14	3504839	9%	25.3.16	4187691	3478115	4.3.15	439576
171300pu00016204	पी0एन0बी0	19.6.15	2000000	8.25%	19.6.16	2140175	2050024	2.11.15	120151
171300pu00016204	पी0एन0बी0	19.6.15	1500000	8.25%	19.6.16	1627631	1562660	31.12.15	64971
								कुल योग	**₹826344**

इस प्रकार परिषद द्वारा परिपक्वता तिथि से पूर्व उपर्युक्त वर्णित निवेशित राशियों को भुनाया/निकलवाया गया, जिसके परिणामस्वरूप बैंक द्वारा कम दरों पर अर्थात बचत खाते में जमा दरों पर ब्याज दिया गया, जबकि इन उक्त राशियों को भुनाने/निकलवाने के पश्चात एक लम्बी अवधि तक बचत खाते में ही जमा रखा गया। यदि उपर्युक्त निवेशित राशियों को परिपक्वता तिथि पर भुनाया/निकलवाया गया होता तो परिषद को ₹826344 ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय हो सकती थी। इस प्रकार इस प्रकरण में परिषद के वित्तीय अप्रबन्धन को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि यदि परिषद द्वारा एक सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली को अपनाया गया होता तो ब्याज के रूप में होने वाली हानि से बचा जा सकता था। अतः परिपक्वता तिथि से पूर्व उपर्युक्त निवेशित राशियों को भुनाने/निकलवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में परिषद की वित्तीय प्रबन्धन

प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) सावधि जमा निवेश में निवेशित राशि पर बैंक द्वारा ₹0.19 की स्त्रोतों पर कर कटौती (TDS) करने के सन्दर्भ में

जांच के दौरान पाया गया कि पैन्शन निधि खाते से दिनांक 6.3.2014 को एफ0डी0 संख्याः 772297 के अन्तर्गत ₹1961919 सावधि जमा योजना में निवेश की गई थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है। उक्त निवेशित राशि की परिपक्वता तिथि 6.3.2016 थी व परिपक्वता की ₹2344162 थी, लेकिन बैंक द्वारा परिपक्वता तिथि पर केवल ₹2325031 का ही क्रेडिट देकर इस राशि को पुनः निवेशित किया गया व बैंक द्वारा शेष ₹19131 की स्त्रोतों पर कर कटौती (TDS) की गई थी, जिसके कारण परिषद को ₹19131 की हानि हुई। अतः इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंक (पंजाब एण्ड सिंध) से उठाया जाए व स्त्रोतों पर कर कटौती के रूप में काटी गई ₹19131 की प्रतिपूर्ति करके इसे वापिस सन्बन्धित निधि खाते में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) पैन्शन खाते से सम्बन्धित निवेश के बारे

दिनांक 31.3.2016 को यूको बैंक मनाली के खाता संख्याः 14303 में पैन्शन खाते की ₹812164.72 शेष थी तथा सावधि जमा योजना में ₹3000000 निवेशित किए गए थे, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद में पैन्शन खाते के लेन–देन से सम्बन्धित रोकड़ वही का रख–रखाव नहीं किया गया है व लेन–देन का हिसाब पास बुक से किया जा रहा है। अतः परामर्श दिया जाता है कि पैन्शन खाते के बचत खाते तथा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि अर्थात कुल राशि हेतु रोकड़ वही तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 अनुदान

परिषद द्वारा अवधि 4/2014 से 3/2016 के दौरान प्राप्त व तथा उसमें से किए गए व्यय का विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ग"(i) व (v)** में दिया गया है, जिनमें निम्नलिखित अभियुक्तियां पाई गईं।

(क) दिनांक 31.3.2016 को अनुदान की अनुपयुक्त ₹115.06 लाख का शेष पाया जाना

परिशिष्ट "ग"(i) व (v) के अवलोकन में पाया गया कि परिषद द्वारा प्राप्त कुल अनुदान की राशियों में से दिनांक 31.3.2016 ₹11506350 अनुपयुक्त/शेष थी, जबकि इन राशियों का उपयोग

सम्बन्धित विकास कार्यों हेतु किया जाना अपेक्षित था। अतः इन अनुदान की राशियों का नियमानुसार शीघ्र उपयोग करके इनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय को प्रेषित किए जाएं।

(ख) पूर्व वर्षों में प्राप्त अनुदान की शेष ₹75 लाख का लम्बे समय तक उपयोग न करना

परिषद द्वारा वर्ष 2012 से विभिन्न कार्यों हेतु अनुदान राशियां प्राप्त की गई थी, जिसमे से दिनांक 31.3.2016 तक ₹7499947 अनुपयुक्त थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ग"(iii)** में दिया गया है। इस प्रकार इन राशियों का दिनांक 31.3.2016 तक उपयोग नहीं किया गया है। अतः अनुदान की राशियों का समयबध प्रयोग न करने औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति लेने के उपरान्त इन राशियों को सम्बन्धित कार्यों हेतु शीघ्र व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) अनुदान की ₹56.68 लाख का अन्य उद्धेश्यों पर अनियमित व्यय करना

दिनांक 31.3.2015 तक अनुदानों से प्राप्त राशि, अन्तशेष तथा उसमें से अन्य उद्देश्यों पर किया गया व्यय निम्न प्रकार से था, जिनका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ग" i से v** दिया गया है।

अनुदान	**दिनांक 31.3.15 को अनुदानों का अन्तशेष**	**टिप्पणी**
पुराने अनुदानों का अन्तशेष (16424123–6188684)	10235439	**परिशिष्ट "ग(i)"**
(+) 2014–15 में प्राप्त अनुदान राशियों का अन्तशेष	1879762	**परिशिष्ट "ग(iv)"**
दिनांक 31.3.2015 को कुल अनुपयुक्त अन्तशेष	12115201	**परिशिष्ट "ग(i)"**
(–) दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति का अन्तशेष	6447579	**परिशिष्ट "क(i)"**
अनुदान राशियों से अन्य उद्धेश्यों पर व्यय की गई राशि	5667622	**परिशिष्ट "ग(ii)"**

उपरोक्त विवरण में स्पष्ट है कि ₹5667622 का व्यय अनुदान में से समक्ष अधिकारी की स्वीकृति के बिना, अन्य उद्धेश्य हेतु किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व व्यय को सक्षम अधिकारी Funding Agency की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

7 अग्रिम रूप से प्रदान की गई ₹3.06 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक विभिन्न कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि में ₹306050 समायोजित हेतु शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "घ"** में दिया गया है। इस विवरण की पड़ताल से स्पष्ट है कि क्रम संख्या 1 से 35 तक के अग्रिम 6 से 16 वर्ष पूर्व प्रदान किए गए थे, परन्तु इनके समायोजन या वसूली हेतु परिषद द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है व क्रम संख्याः 1 से 5 तक सचिवों को अग्रिम की ₹1.65 लाख लगभग 16 वर्ष पहले प्रदान की गई

थी तथा सम्बन्धित सचिव काफी समय पहले सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, लेकिन यह अग्रिम समायोजित नहीं किए गए। नगर परिषद द्वारा इन अधिकारियों को "No dues certificate" किस आधार पर जारी किया गया, इसे स्पष्ट नहीं किया गया, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः गत 6 से 16 वर्ष तक के पुराने अग्रिम व "No dues certificate" जारी करने से सम्बन्धित मामला निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला के ध्यानार्थ यथोचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है, ताकि अग्रिम राशियों का समायोजन शीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए।

8 गृहकर की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) गृहकर की ₹26.73 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक गृहकर की बकाया ₹2673547 की वसूली की जानी शेष थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ङ"** में दिया गया है। इस प्रकार परिषद द्वारा गृहकर की बकाया राशि की वसूली हेतु कोई विशेष कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सन्दर्भ में म्युनिसिपल अधिनियम– 1994 की धारा 87(1) में विनिर्दिष्ट नियमों के अन्तर्गत वसूली हेतु ठोस/आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

(ख) गृहकर के मांग व संग्रह रजिस्टर में गृहकर की बकाया ₹1.25 लाख कम दर्शाने बारे

नगर परिषद के गृहकर के मांग व संग्रह रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 2014–15 व 2015–16 के दौरान कई मामलों में गृहकर की बकाया राशि को या तो दर्शाया ही नहीं गया या फिर गलत गणना करके कम दर्शाया गया है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। ऐसे सभी मामले का ब्यौरा **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2012 से 3/2014 के पैरा 7 (ग) में भी इस अनियमितता के बारे में विशेष उल्लेख किया गया था, परन्तु इस विषय में कोई भी सतर्कता नहीं बरती गई। अतः उक्त परिशिष्ट के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों की पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त मांग व संग्रह रजिस्टर में सही आंकड़े दर्ज किए जाएं तथा गृहकर की वसूली तदानुसार सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) गृहकर की बढ़ी हुई दरों से वसूली न करने के फलस्वरूप परिषद द्वारा ₹5.88 लाख की गृहकर की कम वसूली करना

जांच के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा अपनी सीमा के क्षेत्र में वर्ष 2014–15 व 2015–16 में 12% की दर से गृहकर की वसूली की गई थी, जबकि सरकार द्वारा पत्र संख्याः यू0डी0एस0सी0 (10)–2/2002, दिनांक 24.9.2003 के तहत निर्देश जारी किए गए थे कि नगर परिषदों/पंचायतों में 12.5% की दर से गृहकर वसूली की जानी अपेक्षित थी, जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद द्वारा वर्ष 2014–15 में ₹7058270x12.5/12=7352365–7058270= ₹294095 व वर्ष

2015–16 में ₹7058270x12 5/12=7352365–7058270=₹294095 अर्थात कुल (294095+294095= ₹5881900) की कम वसूली की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए।

9 दुकानों के किराये की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) दुकानों के किराए की ₹65.58 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक विभिन्न दुकानदारों से किराए की ₹6558704 अधिभार सहित वसूली करनी शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "छ"** पर दिया गया है, परन्तु परिषद द्वारा दुकानदारों से मासिक किराए की राशि को नियमित रूप से वसूल करने हेतु कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है, जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः किराए की वसूली हेतु म्युनिसिपल अधिनियम–1994 की धारा 89(1) में विनिर्दिष्ट नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाए, ताकि नगर परिषद किराये की वसूली करके इस धन का उपयोग परिषद की विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) दुकानों के किराये से सम्बन्धित किराया मांग व संग्रह रजिस्टर में ₹8076 की मांग कम दर्शाना

जांच के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा अवधि 4/2014 से 3/2016 के दौरान दुकानों के किराए की ₹8070 की कम मांग की गई थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ज"** में दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप परिषद को होने वाली क्षति को नकारा नहीं जा सकता है। अतः **परिशिष्ट "ज"** में दर्शित दुकानों के किराए की कम मांग जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब ₹8076 किराए की मांग सम्बन्धित दुकानदारों को जारी करके इस राशि की प्रतिपूर्ति करके इसे सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) दुकानों के किराये के अनुबन्ध का नवीनीकरण न करना

जांच के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा विभिन्न दुकानदारों को आवंटित की गई दुकानों से सम्बन्धित किराये के अनुबन्धों का अवधि 4/2014 से 3/2016 के दौरान नवीनीकरण नहीं किया गया है, जोकि अनियमित है। अतः किराया के अनुबन्ध की शर्तों व नियमों के विपरीत दुकानों के किराये की अनुबन्धों का नवीनीकरण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही अमल में लाते हुए दुकानों के किराये के अनुबन्धों का नवीनीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के विवादों के लिए लिखित अनुबन्धों को न्यायालय में या विधिक (Legal) कार्यवाही हेतु प्रयोग में लाया जा सके।

10 तहबजारी फीस की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) तहबजारी फीस की ₹1.77 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद मनाली के तहबजारी फीस के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक परिषद द्वारा विभिन्न तहबजारी होल्डरों से ₹177260 की वसूली करनी शेष थी, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। ऐसे सभी मामलों जिनसे तहबजारी फीस की वसूली शेष थी, का ब्यौरा **परिशिष्ट "झ'** पर दिया गया है। अतः तहबजारी फीस की शेष राशि की वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में तहबजारी फीस की वसूली Municipal Account Code के अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) तहबजारी फीस की वसूली प्रतिदिन न करके लम्बे अन्तराल बाद इनकी वसूली करने बारे

नगर परिषद मनाली के तहबजारी फीस वसूली रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि अधिकतर मामलों में परिषद द्वारा तहबजारी फीस की प्रतिदिन वसूली नहीं की गई है अर्थात तहबजारी फीस की राशि की वसूली दो से 12 माह के लम्बे अन्तराल के बाद की जा रही है, जिस कारण बैंक में प्रतिदिन जमा होने वाली राशि पर प्राप्त ब्याज की हानि हो भी रही है। ऐसे समस्त प्रकरणों का विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट "ञ"** में दिया गया है। यहां पर यह वर्णित किया जाता है कि परिषद द्वारा अपनी दुकानों का किराया निर्धारित समय पर देय न होने पर 20% Surcharge वसूला जाता है, परन्तु तहबजारी टिकट होल्डरों से फीस की राशि लम्बे अन्तराल बाद वसूलने पर कोई भी Surcharge नहीं किया जाता। इस प्रकार तहबजारी फीस की वसूली Municipal Account Code की धारा 159 के अनुसार न करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 मोबाइल टावर कम्पनियों से टावर फीस की ₹2.47 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद द्वारा विभिन्न मोबाइल टावर कम्पनियों से **परिशिष्ट "ट"** में दर्शाए गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक ₹246750 की वसूली करनी शेष थी, जिसकी वसूली करने हेतु परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः परिषद द्वारा उक्त राशि की समय पर वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार उक्त राशि की वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 Segrigation फीस की बकाया ₹0.80 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "ठ"** में दर्शाए गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक विभिन्न होटलों से Segrigation फीस की ₹80407 की वसूली शेष थी तथा इस फीस को प्राप्त करने हेतु

परिषद द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः बकाया Segrigation फीस की वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 कूड़ा–कचरा संग्रह फीस की ₹1160 कम जमा करने बारे

नगर परिषद के कूड़ा–कचरा संग्रह फीस के लेखों की जांच तथा इनकी रसीद बुकों (G–8) से मिलान करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में कुल जमा राशि में से निम्न विवरणानुसार ₹1160 कम जमा करवाई गई थी। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर कम जमा करवाई गई राशि को अंकेक्षण अवधि में ही रसीद संख्या (G–8) 046, दिनांक 4.6.2016 द्वारा रोकड़ वही में जमा कर दिया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य मासों की जांच भी नगर परिषद द्वारा अपने स्तर पर करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

क्र0 सं0	फीस संग्रह रसीद सं0	दिनांक	कुल जमा राशि	रोकड़ वही में जमा राशि	रसीद संख्या (G–8)	कम जमा राशि
1	40 से 100 / 173	6.6.14	14770	13770	30 / 152	(–)1000
	1 से 36 / 174	6.6.14				
2	76 से 100 / 177	18.6.14	11017	10957	40 / 155	(–)60
3	21 से 55 / 275	3.6.14	10894	10794	66 / 202	(–)100
4	49 से 100 / 282	26.6.15	4160	4260	45 / 210	(+)100
5	56 से 62 / 283	30.6.15	920	820	63 / 283	(–)100
					कुल	**₹1160**

14 रैहन बसेरे (यात्री निवास) रजिस्टर का उचित प्रकार से रख–रखाव न करना

जांच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अवधि 4 / 2014 से 3 / 2016 के दौरान रैहन बसेरे (यात्री निवास) रजिस्टर का उचित प्रकार से रख–रखाव नहीं किया गया था, जैसे कि यात्री के आने व जाने का समय, यात्रा का उद्धेश्य इत्यादि का उल्लेख न करना। यह एक अनियमितता है, जिसके कारण पारदर्शिता के अभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। अतः इस रजिस्टर का उचित प्रकार से रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए तथा भविष्य में रैहन बसेरे रजिस्टर का रख–रखाव उचित प्रकार से किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विद्युत बोर्ड से बिजली के शुल्क की ₹4.43 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध किए गए अभिलेख के अनुसार बिजली शुल्क 1 पैसा प्रति यूनिट की दर से कुल ₹443491 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से दिनांक 31.3.2016 तक प्राप्त की जानी शेष थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ड"** में दिया गया है। अंकेक्षण को चर्चा के

दौरान अवगत करवाया गया कि बोर्ड द्वारा विद्युत सैस की राशि परिषद के विद्युत बिलों से घटाकर बिल तैयार कर समायोजित की जाती है, परन्तु इस राशि को परिषद की रोकड़ वही में आय के रूप में नहीं दर्शाया जाता, जबकि इस राशि की आय के रूप में दर्शाया जाना अपेक्षित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा विद्युत बोर्ड से प्राप्त राशि को आय में दर्शाया जाए व बकाया राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 निर्माण कार्य बिलों से लेबर सैस की ₹0.51 लाख कटौती न करने बारे

The Building and Other Construction Works Welfare Cess Act 1996 की धारा (3)(i) के अन्तर्गत निर्माण कार्य बिलों से 1% लेबर सैस की कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा की जानी अपेक्षित थी, लेकिन परिषद द्वारा लेबर सैस की कटौती नियमानुसार न करके अपेक्षित राशि सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाई गई है। इस प्रकार 1% लेबर सैस की कटौती निम्न निर्माण कार्यों से नहीं की गई। अतः इस राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से करने के अतिरिक्त चयनित मासों के अलावा अन्य मासों की लेबर सैस की कटौती की गणना संस्था स्तर पर करके तथा इसकी वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। चयनित मासों में कटौती न की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	वा0 सं0	निर्माण कार्य का नाम	कुल निष्पादित कार्य	सैस की कटौती नहीं की गई
1	29	Chainalising of Nallah near Premlata house towords slaughter house RD.70-RD142	542276	5423
2	29	Chainalising of Nallah near Premlata house towords slaughter house RDD/0-RD70	509287	5093
3	41	Kota stone slab flooring in hall at ground floor in rehan basere building at ward No. 4	190578	1906
4	71	S/R and C/o RCC Slab on Nallah from Ramesh house towords house of Sh. Dinesh at ward no. 2	551414	5514
5	74	Proposed CC Road and parking from sangam hotel towards Himanshu Hotel at ward no. 4	683678	6837
6	77	C/o Footpath near G.P.S by shifting of boundry wall at ward no. 3	427353	4274
7	82	Development of solid works mgt. project Rangari SH: Retaining wall towards river side	685536	6855
8	102	P/F M.S grating at different locations	652920	6529
9	103	S.R. Parking at Mission Hospitial Manali	564093	5641
10	112	Special Repair to Garbage Container	311448	3114
			कुल कटौती जो नहीं की गई	**₹51186**

17 श्री रमेश चन्द (कनिष्ठ सहायक) को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा बिल के रूप में ₹1865 का अधिक भुगतान करना

जांच के दौरान पाया गया कि श्री रमेश चन्द (कनिष्ठ सहायक) को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में ₹1865 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्नलिखित है।

क्र0 सं0	वा0 सं0	दिनांक	विवरण	राशि जो भुगतान की गई	राशि जो भुगतान की जानी चाहिए थी	जितनी राशि अधिक भुगतान की
1	47	3.11.14	टैस्ट दवाईयां का बिल (Indoor)	24794	24794	–
			(Primepath Lab)	2335	855	1475
2	90	16.6.15	दवाईयां का बिल (बिटामिन–डी)	5112	4722	390
					कुल राशि	**1865**

उपरोक्त क्रम संख्याः 1 में 8 नंबर टैस्ट प्राईम पाथ लैब को ₹2335 का भुगतान किया गया, जबकि सरकार द्वारा जारी रेट के अनुसार केवल ₹855 का ही भुगतान किया जाना था तथा क्रम संख्याः 2 में कुल ₹5112 के भुगतान में से ₹396 जो बिटामिन–डी की दवाई के लिए भुगतान किए गए थे, जोकि देय नहीं है। इस प्रकार उक्त कर्मचारी से कुल ₹1865 का अधिक भुगतान चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में किया गया। अतः ₹1865 वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके इसे वापिस निधि खाते में जमा करवाकर तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 यात्रा–भत्ता दावे के रूप में ₹406 का किया गया अधिक भुगतान करना

जांच के दौरान पाया गया कि श्री जीवन प्रकाश, बेलदार को वाउचर संख्याः 52, दिनांक 3.11.2014 के अन्तर्गत अवधि 29.8.2014 से 25.10.2014 के यात्रा भत्ते दावे के रू‍प में ₹2187 का भुगतान किया गया था, जबकि नियमानुसार उनको केवल ₹1781 ही यात्रा भत्ते दावे के रूप में देय थे। इस प्रकार उनकी (2187–1781=₹406) का यात्रा भत्ता दावे के रूप में अधिक भुगतान किया गया। यह राशि यात्रा अवधि (journey period) में लिए अधिक दैनिक भत्ता वसूली के रूप में की गई थी। अतः यात्रा भत्ते के रूप में अधिक भुगतान की गई ₹406 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके इसे वापिस निधि खाते में जमा करवाकर, अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त जांच में पाया गया कि चयनित माह के अलावा भी यात्रा के दौरान दैनिक भत्ता अधिक भुगतान किया जा रहा है। अतः परिषद द्वारा आन्तरिक स्तर पर छानबीन करके अधिक भुगतान की गई राशि की गणना करने के उपरान्त, अपेक्षित राशि की वसूली करके इसे वापिस खाते में जमा करवाया सुनिश्चित किया जाए।

19 गाड़ियों की लॉग बुकों (Log Books) रजिस्टरों को जांच हेतु प्रस्तुत न करना

परिषद की गाड़ियों की लॉग बुकों से सम्बन्धित अवधि 4/2014 से 3/2015 के रजिस्टर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 120, दिनांक 18.6.2016 द्वारा अनुरोध किया गया था, जिसका कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर जांच हेतु प्रस्तुत किए जाएं।

20 **लघु आपत्ति विवरणीः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

21 **निष्कर्षः–**लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है। वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) V(19), खण्ड–6–5495–5496 दिनांकः 17.10.2016, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उत्तर एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करके के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''अ'' पैरा–1 (ग) में सन्दर्भित

नगर परिषद मनाली के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 30.6.1978 से 3/2014 तक के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस प्रकार से है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 30.6.1978 से 31.3.1981

1	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत
4	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (डी)(ई)	अनिर्णीत
7	पैरा–12 (एफ)	अनिर्णीत
8	पैरा–12 (जी)	अनिर्णीत
9	पैरा–13 (1)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा–16	अनिर्णीत
12	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
14	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
15	पैरा–18 (4)	अनिर्णीत
16	पैरा–18 (5)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1981 से 3/1982

1	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (बी)(i)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (बी)(ii)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (सी)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (डी)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा–9 (सी)	अनिर्णीत
11	पैरा–9 (डी)	अनिर्णीत
12	पैरा–9 (ई)	अनिर्णीत
13	पैरा–9 (एफ)	अनिर्णीत
14	पैरा–9 (जी)	अनिर्णीत
15	पैरा–9 (एच)	अनिर्णीत
16	पैरा–9 (आई)	अनिर्णीत
17	पैरा–9 (जे)	अनिर्णीत
18	पैरा–9 (के)	अनिर्णीत
19	पैरा–9 (एल)	अनिर्णीत
20	पैरा–9 (एम)	अनिर्णीत

21	पैरा–9 (एन)	अनिर्णीत
22	पैरा–9 (ओ)	अनिर्णीत
23	पैरा–9 (पी)	अनिर्णीत
24	पैरा–10	अनिर्णीत
25	पैरा–13	अनिर्णीत
26	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
27	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
28	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
29	पैरा–14 (4)	अनिर्णीत
30	पैरा–14 (5)	अनिर्णीत
31	पैरा–15	अनिर्णीत
32	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत
33	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
34	पैरा–16 (3)	अनिर्णीत
35	पैरा–18	अनिर्णीत
36	पैरा–20 (i)	अनिर्णीत
37	पैरा–20 (ii)	अनिर्णीत
38	पैरा–20 (iii)	अनिर्णीत
39	पैरा–20 (iv)	अनिर्णीत
40	पैरा–20 (v)	अनिर्णीत
41	पैरा–20 (vi)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1984

1	पैरा–5 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (आई)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–10	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
8	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत
9	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
10	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा–13 (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा–13 (डी)	अनिर्णीत
14	पैरा–13 (ई)	अनिर्णीत
15	पैरा–13 (एफ)	अनिर्णीत
16	पैरा–13 (जी)	अनिर्णीत
17	पैरा–13 (एच)	अनिर्णीत
18	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
19	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
20	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
21	पैरा–15 (2)	अनिर्णीत
22	पैरा–16	अनिर्णीत
23	पैरा–17	अनिर्णीत

24	पैरा—18 (1)	अनिर्णीत
25	पैरा—18 (2)	अनिर्णीत
26	पैरा—18 (3)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1986

1	पैरा—3 (व)	अनिर्णीत
2	पैरा—5 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा—5 (5)	अनिर्णीत
4	पैरा—5 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा—5 (7)	अनिर्णीत
6	पैरा—5 (8)	अनिर्णीत
7	पैरा—5 (9)	अनिर्णीत
8	पैरा—5 (10)	अनिर्णीत
9	पैरा—5 (11)	अनिर्णीत
10	पैरा—5 (12)	अनिर्णीत
11	पैरा—5 (13)	अनिर्णीत
12	पैरा—6 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा—6 (2)	अनिर्णीत
14	पैरा—7 (ए)(2)	अनिर्णीत
15	पैरा—7 (सी)(ई)	अनिर्णीत
16	पैरा—8 (सी)(ई)	अनिर्णीत
17	पैरा—8 (एफ)	अनिर्णीत
18	पैरा—9 (ए)	अनिर्णीत
19	पैरा—9 (बी)	अनिर्णीत
20	पैरा—9 (सी)	अनिर्णीत
21	पैरा—9 (डी)(1)	अनिर्णीत
22	पैरा—9 (डी)(2)	अनिर्णीत
23	पैरा—14 (1)	अनिर्णीत
24	पैरा—14 (2)	अनिर्णीत
25	पैरा—14 (3)	अनिर्णीत
26	पैरा—14 (4)	अनिर्णीत
27	पैरा—17	अनिर्णीत
28	पैरा—18 (ए)	अनिर्णीत
29	पैरा—18 (बी)	अनिर्णीत
30	पैरा—18 (सी)(डी)	अनिर्णीत
31	पैरा—18 (ई)	अनिर्णीत
32	पैरा—18 (एफ)	अनिर्णीत
33	पैरा—18 (जी)	अनिर्णीत
34	पैरा—18 (एच)	अनिर्णीत
35	पैरा—18 (आई)	अनिर्णीत
36	पैरा—18 (जे)	अनिर्णीत
37	पैरा—18 (के)	अनिर्णीत
38	पैरा—18 (एल)	अनिर्णीत
39	पैरा—18 (एम)	अनिर्णीत
40	पैरा—19 (ए)	अनिर्णीत
41	पैरा—20	अनिर्णीत

42	पैरा–21 (i)	अनिर्णीत
43	पैरा–21 (ii)	अनिर्णीत
44	पैरा–21 (iii)	अनिर्णीत
45	पैरा–22 (ए)	अनिर्णीत
46	पैरा–22 (बी)	अनिर्णीत
47	पैरा–22 (एफ)	अनिर्णीत
48	पैरा–22 (एच)	अनिर्णीत
49	पैरा–23 (ए)	अनिर्णीत
50	पैरा–23 (बी)	अनिर्णीत
51	पैरा–24 (2)	अनिर्णीत
52	पैरा–24 (3)	अनिर्णीत
53	पैरा–24 (6)	अनिर्णीत
54	पैरा–24 (7)	अनिर्णीत
55	पैरा–24 (8)	अनिर्णीत
56	पैरा–24 (9)	अनिर्णीत
57	पैरा–24 (10)	अनिर्णीत
58	पैरा–24 (11)	अनिर्णीत
59	पैरा–24 (13)	अनिर्णीत
60	पैरा–24 (14)	अनिर्णीत
61	पैरा–24 (15)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1986 से 3/1987

1	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (5)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (6)	अनिर्णीत
7	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत
10	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत
11	पैरा–7	अनिर्णीत
12	पैरा–8	अनिर्णीत
13	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
17	पैरा–9 (5)(ए)	अनिर्णीत
18	पैरा–9 (5)(बी)	अनिर्णीत
19	पैरा–10	अनिर्णीत
20	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत
21	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत
22	पैरा–12 (3)	अनिर्णीत
23	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत
24	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत

25	पैरा–13 (5)	अनिर्णीत
26	पैरा–13 (6)	अनिर्णीत
27	पैरा–13 (7)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1992

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा–14 (4)	अनिर्णीत
6	पैरा–14 (6)(क)	अनिर्णीत
7	पैरा–14 (6)(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (9)	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (12)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (17)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (19)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (27)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (28)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (29)(क)	अनिर्णीत
15	पैरा–14 (29)(ख)	अनिर्णीत
16	पैरा–14 (29)(ग)	अनिर्णीत
17	पैरा–14 (29)(घ)	अनिर्णीत
18	पैरा–14 (29)(च)	अनिर्णीत
19	पैरा–14 (37)(क)	अनिर्णीत
20	पैरा–14 (37)(ख)	अनिर्णीत
21	पैरा–14 (38)	अनिर्णीत
22	पैरा–14 (39)(1)	अनिर्णीत
23	पैरा–14 (39)(2)(ग)	अनिर्णीत
24	पैरा–14 (40)	अनिर्णीत
25	पैरा–14 (45)	अनिर्णीत
26	पैरा–14 (48)	अनिर्णीत
27	पैरा–14 (49)	अनिर्णीत
28	पैरा–14 (51)	अनिर्णीत
29	पैरा–14 (52)	अनिर्णीत
30	पैरा–14 (54)	अनिर्णीत
31	पैरा–14 (55)(क)	अनिर्णीत
32	पैरा–14 (55)(ख)	अनिर्णीत
33	पैरा–14 (55)(ग)	अनिर्णीत
34	पैरा–14 (55)(घ)	अनिर्णीत
35	पैरा–14 (55)(ड.)	अनिर्णीत
36	पैरा–14 (56)(क)	अनिर्णीत
37	पैरा–14 (56)(ख)	अनिर्णीत
38	पैरा–14 (56)(ग)	अनिर्णीत
39	पैरा–14 (56)(घ)	अनिर्णीत
40	पैरा–14 (56)(ड.)	अनिर्णीत
41	पैरा–14 (59)	अनिर्णीत

42	पैरा—14 (60)	अनिर्णीत
43	पैरा—14 (61)(क)	अनिर्णीत
44	पैरा—14 (61)(ख)	अनिर्णीत
45	पैरा—14 (61)(ग)	अनिर्णीत
46	पैरा—14 (61)(घ)	अनिर्णीत
47	पैरा—14 (61)(ङ.)	अनिर्णीत
48	पैरा—14 (62)(क)	अनिर्णीत
49	पैरा—14 (62)(ख)	अनिर्णीत
50	पैरा—14 (62)(ग)	अनिर्णीत
51	पैरा—14 (63)	अनिर्णीत
52	पैरा—14 (64)	अनिर्णीत
53	पैरा—14 (65)	अनिर्णीत
54	पैरा—14 (66)	अनिर्णीत
55	पैरा—14 (68)	अनिर्णीत
56	पैरा—14 (69)	अनिर्णीत
57	पैरा—14 (71)(क)	अनिर्णीत
58	पैरा—14 (72)(ख)	अनिर्णीत
59	पैरा—14 (72)(ग)	अनिर्णीत
60	पैरा—14 (73)	अनिर्णीत
61	पैरा—14 (74)	अनिर्णीत
62	पैरा—15 (1)	अनिर्णीत
63	पैरा—15 (2)	अनिर्णीत
64	पैरा—16 (ख)	अनिर्णीत
65	पैरा—16 (ग)	अनिर्णीत
66	पैरा—16 (छ)	अनिर्णीत
67	पैरा—17 (ख)	अनिर्णीत
68	पैरा—17 (झ)	अनिर्णीत
69	पैरा—17 (ञ)	अनिर्णीत
70	पैरा—17 (त)	अनिर्णीत
71	पैरा—17 (द)	अनिर्णीत
72	पैरा—17 (ध)	अनिर्णीत
73	पैरा—17 (न)	अनिर्णीत
74	पैरा—17 (प)	अनिर्णीत
75	पैरा—17 (फ)	अनिर्णीत
76	पैरा—17 (ब)	अनिर्णीत
77	पैरा—17 (म)	अनिर्णीत
78	पैरा—17 (य)	अनिर्णीत
79	पैरा—17 (र)	अनिर्णीत
80	पैरा—17 (ल)	अनिर्णीत
81	पैरा—17 (व)	अनिर्णीत
82	पैरा—17 (ह)	अनिर्णीत
83	पैरा—17 (त्र)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1996

1	पैरा—6 (क)(3)	अनिर्णीत
2	पैरा—6 (ख)	अनिर्णीत

3	पैरा—7 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा—7 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा—7 (4)	अनिर्णीत
6	पैरा—7 (5)	अनिर्णीत
7	पैरा—8 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा—8 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा—11	अनिर्णीत
10	पैरा—12 (1)	अनिर्णीत
11	पैरा—12 (3)	अनिर्णीत
12	पैरा—12 (5)	अनिर्णीत
13	पैरा—12 (6)	अनिर्णीत
14	पैरा—12 (7)	अनिर्णीत
15	पैरा—12 (8)	अनिर्णीत
16	पैरा—12 (10)	अनिर्णीत
17	पैरा—12 (11)	अनिर्णीत
18	पैरा—12 (14)	अनिर्णीत
19	पैरा—12 (15)	अनिर्णीत
20	पैरा—12 (16)	अनिर्णीत
21	पैरा—12 (17)	अनिर्णीत
22	पैरा—12 (19)	अनिर्णीत
23	पैरा—12 (20)	अनिर्णीत
24	पैरा—13 (क)	अनिर्णीत
25	पैरा—13 (ख)	अनिर्णीत
26	पैरा—13 (ग)	अनिर्णीत
27	पैरा—13 (घ)	अनिर्णीत
28	पैरा—13 (ङ.)	अनिर्णीत
29	पैरा—14 (2)	अनिर्णीत
30	पैरा—14 (3)	अनिर्णीत
31	पैरा—14 (4)	अनिर्णीत
32	पैरा—14 (5)	अनिर्णीत
33	पैरा—15 (3)	अनिर्णीत
34	पैरा—15 (8)	अनिर्णीत
35	पैरा—15 (10)	अनिर्णीत
36	पैरा—16	अनिर्णीत
37	पैरा—17 (2)	अनिर्णीत
38	पैरा—17 (7)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1999

1	पैरा—6 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा—6 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा—7 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा—7 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा—7 (4)	अनिर्णीत
6	पैरा—7 (5)	अनिर्णीत
7	पैरा—7 (6)	अनिर्णीत
8	पैरा—8 (1)	अनिर्णीत

9	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत
10	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
11	पैरा–9	अनिर्णीत
12	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (2)	अनिर्णीत
14	पैरा–13 (1)	अनिर्णीत
15	पैरा–13 (2)(1)	अनिर्णीत
16	पैरा–13 (2)(2)	अनिर्णीत
17	पैरा–13 (3)(1)	अनिर्णीत
18	पैरा–13 (3)(2)	अनिर्णीत
19	पैरा–13 (3)(3)	अनिर्णीत
20	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत
21	पैरा–13 (6)	अनिर्णीत
22	पैरा–13 (9)	अनिर्णीत
23	पैरा–13 (11)	अनिर्णीत
24	पैरा–13 (13)(i)	अनिर्णीत
25	पैरा–13 (13)(ii)	अनिर्णीत
26	पैरा–13 (13)(iii)	अनिर्णीत
27	पैरा–13 (13)(iv)	अनिर्णीत
28	पैरा–13 (14)(1)(i)	अनिर्णीत
29	पैरा–13 (14)(1)(ii)	अनिर्णीत
30	पैरा–13 (14)(1)(iii)	अनिर्णीत
31	पैरा–13 (14)(2)	अनिर्णीत
32	पैरा–13 (16)(1)	अनिर्णीत
33	पैरा–13 (16)(2)	अनिर्णीत
34	पैरा–13 (16)(3)	अनिर्णीत
35	पैरा–13 (16)(4)	अनिर्णीत
36	पैरा–13 (17)(1)	अनिर्णीत
37	पैरा–13 (17)(2)	अनिर्णीत
38	पैरा–13 (17)(3)	अनिर्णीत
39	पैरा–13 (17)(4)	अनिर्णीत
40	पैरा–13 (22)(1)	अनिर्णीत
41	पैरा–13 (22)(2)	अनिर्णीत
42	पैरा–13 (22)(3)	अनिर्णीत
43	पैरा–13 (22)(4)	अनिर्णीत
44	पैरा–13 (22)(5)	अनिर्णीत
45	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
46	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
47	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत
48	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
49	पैरा–16 (3)	अनिर्णीत
50	पैरा–17 (2)(i)	अनिर्णीत
51	पैरा–17 (2)(ii)	अनिर्णीत
52	पैरा–17 (3)(i)	अनिर्णीत
53	पैरा–17 (3)(ii)	अनिर्णीत
54	पैरा–17 (4)(i)	अनिर्णीत

55	पैरा—17 (4)(ii)	अनिर्णीत
56	पैरा—17 (16)(1)	अनिर्णीत
57	पैरा—17 (16)(2)	अनिर्णीत
58	पैरा—17 (16)(3)	अनिर्णीत
59	पैरा—17 (7)	अनिर्णीत
60	पैरा—18 (1)	अनिर्णीत
61	पैरा—18 (2)	अनिर्णीत
62	पैरा—18 (3)	अनिर्णीत
63	पैरा—18 (4)	अनिर्णीत
64	पैरा—18 (5)	अनिर्णीत
65	पैरा—18 (6)	अनिर्णीत
66	पैरा—18 (7)	अनिर्णीत
67	पैरा—19	अनिर्णीत
68	पैरा—20 (1)	अनिर्णीत
69	पैरा—20 (5)	अनिर्णीत
70	पैरा—21 (1)	अनिर्णीत
71	पैरा—21 (3)	अनिर्णीत
72	पैरा—21 (4)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2007

1	पैरा—2	अनिर्णीत
2	पैरा—4 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा—4 (1)(1)	अनिर्णीत
4	पैरा—4 (1)(2)	अनिर्णीत
5	पैरा—4 (1)(3)	अनिर्णीत
6	पैरा—4 (1)(4)	अनिर्णीत
7	पैरा—4 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा—4 (3)(i)	अनिर्णीत
9	पैरा—4 (3)(ii)	अनिर्णीत
10	पैरा—4 (3)(iii)	अनिर्णीत
11	पैरा—4 (3)(iv)	अनिर्णीत
12	पैरा—4 (3)(v)	अनिर्णीत
13	पैरा—4 (4)(i)	अनिर्णीत
14	पैरा—4 (4)(ii)	अनिर्णीत
15	पैरा—4 (4)(iii)	अनिर्णीत
16	पैरा—4 (5)	अनिर्णीत
17	पैरा—4 (6)	अनिर्णीत
18	पैरा—4 (7)	अनिर्णीत
19	पैरा—4 (8)	अनिर्णीत
20	पैरा—4 (9)	अनिर्णीत
21	पैरा—5 (1)	अनिर्णीत
22	पैरा—5 (1)(2)	अनिर्णीत
23	पैरा—5 (1)(3)	अनिर्णीत
24	पैरा—5 (1)(4)	अनिर्णीत
25	पैरा—5 (1)(5)	अनिर्णीत
26	पैरा—5 (2)(1)	अनिर्णीत

27	पैरा—5 (2)(2)	अनिर्णीत
28	पैरा—5 (2)(3)	अनिर्णीत
29	पैरा—5 (3)(ए)	अनिर्णीत
30	पैरा—5 (3)(बी)	अनिर्णीत
31	पैरा—5 (4)	अनिर्णीत
32	पैरा—5 (5)	अनिर्णीत
33	पैरा—5 (6)	अनिर्णीत
34	पैरा—5 (7)(i)	अनिर्णीत
35	पैरा—6 (1)	अनिर्णीत
36	पैरा—6 (2)	अनिर्णीत
37	पैरा—6 (3)	अनिर्णीत
38	पैरा—6 (4)	अनिर्णीत
39	पैरा—6 (5)	अनिर्णीत
40	पैरा—6 (6)	अनिर्णीत
41	पैरा—6 (7)	अनिर्णीत
42	पैरा—6 (8)(1)	अनिर्णीत
43	पैरा—6 (8)(2)	अनिर्णीत
44	पैरा—6 (9)	अनिर्णीत
45	पैरा—6 (10)	अनिर्णीत
46	पैरा—6 (11)	अनिर्णीत
47	पैरा—6 (12)	अनिर्णीत
48	पैरा—6 (13)	अनिर्णीत
49	पैरा—6 (14)	अनिर्णीत
50	पैरा—6 (15)	अनिर्णीत
51	पैरा—6 (16)	अनिर्णीत
52	पैरा—6 (17)	अनिर्णीत
53	पैरा—6 (18)	अनिर्णीत
54	पैरा—6 (19)	अनिर्णीत
55	पैरा—6 (20)	अनिर्णीत
56	पैरा—6 (21)(ए)	अनिर्णीत
57	पैरा—6 (21)(बी)	अनिर्णीत
58	पैरा—6 (22)	अनिर्णीत
59	पैरा—6 (23)	अनिर्णीत
60	पैरा—6 (24)	अनिर्णीत
61	पैरा—6 (25)	अनिर्णीत
62	पैरा—6 (26)	अनिर्णीत
63	पैरा—6 (27)	अनिर्णीत
64	पैरा—6 (28)	अनिर्णीत
65	पैरा—6 (29)	अनिर्णीत
66	पैरा—6 (30)	अनिर्णीत
67	पैरा—6 (31)	अनिर्णीत
68	पैरा—6 (32)	अनिर्णीत
69	पैरा—6 (33)	अनिर्णीत
70	पैरा—6 (34)	अनिर्णीत
71	पैरा—6 (35)	अनिर्णीत
72	पैरा—6 (36)	अनिर्णीत

73	पैरा—6 (37)	अनिर्णीत
74	पैरा—6 (38)	अनिर्णीत
75	पैरा—6 (39)	अनिर्णीत
76	पैरा—6 (40)	अनिर्णीत
77	पैरा—6 (41)	अनिर्णीत
78	पैरा—6 (42)	अनिर्णीत
79	पैरा—6 (43)	अनिर्णीत
80	पैरा—6 (44)	अनिर्णीत
81	पैरा—6 (45)	अनिर्णीत
82	पैरा—6 (46)	अनिर्णीत
83	पैरा—6 (47)	अनिर्णीत
84	पैरा—6 (48)	अनिर्णीत
85	पैरा—6 (49)	अनिर्णीत
86	पैरा—6 (50)	अनिर्णीत
87	पैरा—6 (51)	अनिर्णीत
88	पैरा—6 (52)	अनिर्णीत
89	पैरा—6 (53)	अनिर्णीत
90	पैरा—6 (54)	अनिर्णीत
91	पैरा—6 (55)	अनिर्णीत
92	पैरा—6 (56)	अनिर्णीत
93	पैरा—6 (57)	अनिर्णीत
94	पैरा—6 (58)	अनिर्णीत
95	पैरा—6 (59)	अनिर्णीत
96	पैरा—6 (60)	अनिर्णीत
97	पैरा—6 (61)	अनिर्णीत
98	पैरा—7 (1)	अनिर्णीत
99	पैरा—7 (2)	अनिर्णीत
100	पैरा—7 (3)	अनिर्णीत
101	पैरा—7 (4)	अनिर्णीत
102	पैरा—7 (5)	अनिर्णीत
103	पैरा—7 (6)	अनिर्णीत
104	पैरा—7 (7)	अनिर्णीत
105	पैरा—7 (8)	अनिर्णीत
106	पैरा—7 (9)	अनिर्णीत
107	पैरा—7 (10)	अनिर्णीत
108	पैरा—7 (11)	अनिर्णीत
109	पैरा—7 (12)	अनिर्णीत
110	पैरा—7 (13)	अनिर्णीत
111	पैरा—7 (14)	अनिर्णीत
112	पैरा—7 (15)	अनिर्णीत
113	पैरा—7 (16)	अनिर्णीत
114	पैरा—7 (17)	अनिर्णीत
115	पैरा—7 (18)	अनिर्णीत
116	पैरा—7 (19)	अनिर्णीत
117	पैरा—7 (20)	अनिर्णीत
118	पैरा—7 (21)	अनिर्णीत

119	पैरा–7 (22)	अनिर्णीत
120	पैरा–7 (23)	अनिर्णीत
121	पैरा–7 (24)	अनिर्णीत
122	पैरा–7 (25)	अनिर्णीत
123	पैरा–7 (26)	अनिर्णीत
124	पैरा–7 (27)	अनिर्णीत
125	पैरा–7 (28)	अनिर्णीत
126	पैरा–7 (29)	अनिर्णीत
127	पैरा–7 (30)	अनिर्णीत
128	पैरा–7 (31)	अनिर्णीत
129	पैरा–7 (32)	अनिर्णीत
130	पैरा–7 (33)	अनिर्णीत
131	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत
132	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत
133	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
134	पैरा–8 (4)(ए)	अनिर्णीत
135	पैरा–8 (4)(बी)	अनिर्णीत
136	पैरा–8 (5)	अनिर्णीत
137	पैरा–8 (6)	अनिर्णीत
138	पैरा–8 (7)	अनिर्णीत
139	पैरा–8 (8)	अनिर्णीत
140	पैरा–8 (9)	अनिर्णीत
141	पैरा–8 (10)(ए)	अनिर्णीत
142	पैरा–8 (10)(बी)	अनिर्णीत
143	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
144	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
145	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
146	पैरा–10	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (ii)	अनिर्णीत
6	पैरा–6.1	अनिर्णीत
7	पैरा–6.2	अनिर्णीत
8	पैरा–6.5	अनिर्णीत
9	पैरा–9	अनिर्णीत
10	पैरा–10	अनिर्णीत
11	पैरा–11	अनिर्णीत
12	पैरा–12.1.5	अनिर्णीत
13	पैरा–12.1.6	अनिर्णीत
14	पैरा–12.1.7	अनिर्णीत
15	पैरा–12.2	अनिर्णीत
16	पैरा–12.3	अनिर्णीत

17	पैरा—13	अनिर्णीत	
18	पैरा—14.3	अनिर्णीत	
19	पैरा—16.1	अनिर्णीत	
20	पैरा—16.2	अनिर्णीत	
21	पैरा—16.3	अनिर्णीत	
22	पैरा—17.1	अनिर्णीत	
23	पैरा—17.2	अनिर्णीत	
24	पैरा—17.3	अनिर्णीत	
25	पैरा—17.4	अनिर्णीत	
26	पैरा—18	अनिर्णीत	
27	पैरा—19	अनिर्णीत	
28	पैरा—22.1	अनिर्णीत	
29	पैरा—22.2	अनिर्णीत	
30	पैरा—23	अनिर्णीत	
31	पैरा—24.1	अनिर्णीत	
32	पैरा—24.2	अनिर्णीत	
33	पैरा—25	अनिर्णीत	
34	पैरा—27	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा—5 (ii)	अनिर्णीत	
2	पैरा—6	अनिर्णीत	
3	पैरा—6.1	अनिर्णीत	
4	पैरा—6.2	अनिर्णीत	
5	पैरा—6.3	अनिर्णीत	
6	पैरा—6.4	अनिर्णीत	
7	पैरा—6.6	अनिर्णीत	
8	पैरा—6.7	अनिर्णीत	
9	पैरा—11 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा—12	निर्णीत	(वेतन बिल बाउचर 4 से 10 दिनांक 1.12.2014 से कटौती कर ली है। अतः पैरा निर्धारित किया जाता है।)
11	पैरा—15	अनिर्णीत	
12	पैरा—15.1	अनिर्णीत	

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	पैरा—3	निर्णीत	
2	पैरा—4 (क)(ग)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
3	पैरा—4 (घ)	अनिर्णीत	
4	पैरा—4 (ण)	अनिर्णीत	
5	पैरा—5 (क)	अनिर्णीत	
6	पैरा—5 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा—6	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
8	पैरा—7 (क)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
9	पैरा—7 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा—7 (ग)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)

11	पैरा–7 (घ)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
12	पैरा–7 (ण)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
13	पैरा–8	अनिर्णीत	
14	पैरा–9	अनिर्णीत	
15	पैरा–10	अनिर्णीत	
16	पैरा–10 (ख)	निर्णीत	(रिकवरी MB–43–38, MB–43–80 में कर दिया है। अतः पैरा निर्धारित किया जाता है)
17	पैरा–11	अनिर्णीत	
18	पैरा–12	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
19	पैरा–13	अनिर्णीत	
20	पैरा–14	अनिर्णीत	
21	पैरा–15 (क) (i)(ii)(iii)(iv)	अनिर्णीत	
22	पैरा–15 (ख)	निर्णीत	(रिकवरी MB–43–140 में कर दिया है। अतः पैरा निर्धारित किया जाता है)

अनिर्णीत पैरों का सार

दिनांक 31.3.2014 तक गत शेष		578
वर्तमान प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरे		16
	कुल पैरे	**594**
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे		11
दिनांक 31.3.2016 तक अनिर्णीत पैरों का शेष		583